बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 8 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
शुक्रवार, दिनांक 9.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

11.00 पूर्वाह्न से 4.50 अपराह्न तक

1. **आसन को सूचना एवं आसन का नियमन तथा माननीय मंत्री का आश्वासन**

सदन की कार्यवाही आरम्भ होते ही माननीय सदस्य डा. दिलीप कुमार चौधरी ने आसन को सूचना दी कि मगध विश्वविद्यालय में बी.एड. की परीक्षा का प्रश्न लीक हो गया है, उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इसका समर्थन माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार सिंह, प्रो. नवल किशोर यादव, डा. दिलीप कुमार चौधरी एवं श्री सुबोध कुमार ने किया।

इसपर माननीय उप सभापति महोदय के अनुरोध पर माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार ने आश्वासन दिया कि जिन गम्भीर प्रश्नों को माननीय सदस्यों ने उठाया है, सरकार इसको देखेगी, जांच करायेगी और जो इसमें संलिप्त होंगे, उनपर सख्त कार्रवाई होगी।

2. **कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन**

माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान मक्का के किसानों को घटिया बीज उपलब्ध कराने के संबंध में आकृष्ट किया, जिसपर

आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इसे बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों के निष्पादन की प्रक्रिया की कंडिका-6 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

आसन के नियमन के बाद कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में श्रीमती राबड़ी देवी को छोड़कर राजद तथा कांग्रेस के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में चले आये तथा पोस्टर दिखाते हुए नारे लगाने लगे।

आसन से अनुरोध के बाद माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर चले गये।

माननीय सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि कल इसपर विस्तार से चर्चा हुई थी और माननीय कृषि मंत्री से आसन ने जवाब दिलवाया था। किसानों की समस्या थी – आपकी अनुपस्थिति में हमने आपका काम किया है। विरोधी दल के नहीं रहने पर आपकी समस्या को कृषि मंत्री के समक्ष आसन के द्वारा रखा गया है और उन्होंने कहा है कि हम जांच कराकर कार्रवाई करेंगे और किसानों को उसका मुआवजा भी देंगे। यह घोषणा माननीय कृषि मंत्री ने कल बजट पर वक्तव्य के दौरान की है।

कार्यस्थगन पर सदन की भावना को देखते हुए माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की है कि यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इसपर फिर मंत्री महोदय (कृषि विभाग) से बात करेंगे और चलते सत्र में, सत्र के अंतिम सप्ताह में इसपर माननीय मंत्री से चाहूंगा कि क्या कार्रवाई हुई, इसकी पूरी जानकारी सदन में आपके समक्ष रखें।

3. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 64 एवं 65 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या – 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74 एवं 75 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 66, एवं 70 अनागत हुए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 146 एवं 147 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 163, 164, 165, 167, 168 एवं 169 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या– 148, 154, 159, 162 एवं 166 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- 147 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्यों के विचार के आलोक में और आपने जो कहा है माननीय मंत्री जी,

उसको देखकर समय पर काम करने वाले को वेतन मिलना चाहिए, अगर पैसा रहते हुए वेतन नहीं मिला है तो इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। इसको गम्भीरता से देखेंगे। उन्होंने माननीय सदस्य से कहा कि आप माननीय मंत्री जी को कागजात उपलब्ध करा दीजिए, माननीय मंत्री देख लेंगे।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने आसन का ध्यान आकृष्ट किया :

1 श्री केदार नाथ पाण्डेय
2 श्री राधा चरण साह
3 प्रो. नवल किशोर यादव एवं
4 श्री संजीव कुमार सिंह

माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय की सूचना पर माननीय उप सभापति महोदय ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध किया कि माननीय केदार बाबू ने शून्यकाल के माध्यम से बहुत गम्भीर विषय उठाया है। इसपर माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार ने आश्वासन दिया कि हमने कहा है कि ऐसी जाम की जो समस्या है उसके लिए पदाधिकारियों को निदेश दिया गया है कि उसको गम्भीरता से लें।

माननीय सदस्य, श्री राधा चरण साह की सूचना पर माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि ठीक है, सूचना ग्रहण की गई।

माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव की सूचना पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, आप इसपर ध्यानाकर्षण लाइए।

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि क्रमांक 3 को छोड़कर शून्यकाल की बाकी सूचनाओं को शून्यकाल समिति के सुपुर्द किया जाता है साथ ही माननीय मंत्री से आग्रह किया कि आज की जिस शून्यकाल की सूचना को आपने ग्रहण किया है, उसको आप देखेंगे।

5. आसन को सूचना एवं आसन का नियमन

माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2014-15 और 2015-16 की विधायक क्षेत्र विकास की योजना के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया, इसपर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से यह नियमन देने की कृपा की कि हाउस के दौरान आप माननीय मंत्री जी से बात कीजिए और माननीय मंत्री उसका शीघ्र समाधान कर देंगे।

6. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय द्वारा राजधानी पटना के सभी सरकारी विद्यालयों को अतिक्रमण मुक्त कराकर शैक्षणिक वातावरण बहाल करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन, माननीय मंत्री का आश्वासन एवं आसन की ओर से धन्यवाद दिया जाना

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि जो ध्यानाकर्षण आया है, पहले उसका फलाफल प्राप्त हो जाए कि क्या कार्रवाई करना चाहते हैं ? जिला पदाधिकारी को कुछ निर्देश दें कि समय सीमा के अंदर उसको खाली करायें । यह सिर्फ बहस का विषय नहीं रहे और कुछ कार्रवाई होगी और इसकी समीक्षा माननीय मंत्री भी करेंगे। इसपर माननीय मंत्री श्री श्रवण कुमार ने आश्वस्त किया कि संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि राज्य भर में ऐसे विद्यालयों को चिह्नित करके बतायें जहां चहारदीवारी निर्माण कराने की आवश्यकता है। इसपर माननीय उप सभापति महोदय ने उन्हें आसन की ओर से धन्यवाद दिया।

2. माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित की जानेवाली परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु कम्प्यूटर लैब की स्थापना के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री श्रवण कुमार ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से सदन की भावना को देखते हुए माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि परीक्षा में कड़ाई हो, पूरा सदन सहमत है । परीक्षा में नकल नहीं हो लेकिन अमानवीय व्यवहार न हो ।

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह भी नियमन देने की कृपा की कि जिन ध्यानाकर्षणों के उत्तर नहीं आ सके हैं, वे अगली तिथि में होंगे ।

3. माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय द्वारा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाजितपुर बुचौली, प्रखण्ड- जन्दाहा, जिला- वैशाली की प्रभारी प्रधानाध्यापिका के विरुद्ध कार्रवाई के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

अगली तिथि में उत्तर होगा ।

4. माननीय सदस्य, श्री वीरेन्द्र नारायण यादव द्वारा जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा में व्याप्त अराजकता को दूर करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

अगली तिथि में उत्तर होगा

5. माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव द्वारा राज्य के नियोजित शिक्षकों एवं उच्चतम न्यायालय के आदेश से नियुक्त शिक्षकों को न्यायोचित वेतन देने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

अगली तिथि में उत्तर होगा

6. माननीय सदस्य, श्री देवेश चन्द्र ठाकुर द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक-4593, दिनांक 18.08.2017 द्वारा कर्मियों की सेवा मुक्ति के पश्चात् शेष 248 कर्मियों की सेवा सामंजन के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

अगली तिथि में उत्तर होगा

7. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा राज्य के 429 संस्कृत विद्यालयों के सरकारीकरण से संबंधित गजट को वैधिक सक्षमता प्रदान करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

अगली तिथि में उत्तर होगा

(अंतराल)

7. **वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर**

(जल संसाधन, योजना एवं विकास तथा लघु जल संसाधन)

विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्री राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता
2. श्री राम लषण राम 'रमण'

आसन द्वारा जानकारी

श्री राम लषण राम 'रमण' के भाषण के दौरान जमीन के निबंधन में होनेवाली कठिनाई का जिक्र आने पर माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से यह भावना व्यक्त की कि एक और कठिनाई है। अगर कोई आदमी अपनी जमीन समुदायिक भवन बनाने के लिए निबंधित कराना चाहता है तो सी.ओ., एस.डी.ओ. और जिलाधिकारी के यहां एक साल से ज्यादा समय लग जाता है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

(जल संसाधन, योजना एवं विकास तथा लघु जल संसाधन)

1. श्री सुबोध कुमार
2. श्री दिलीप कुमार चौधरी
3. श्री शिव प्रसन्न यादव
4. श्री संजय प्रसाद

माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने सरकार की ओर से अपना वक्तव्य दिया।

आसन के अनुरोध पर माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग, श्री दिनेश चन्द्र यादव ने अपना लिखित वक्तव्य पुस्तिका के रूप में सदन पटल पर रखा।

8. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री संजीव श्याम सिंह
2. श्री सतीश कुमार
3. श्री शिवप्रसन्न यादव
4. श्री सोनेलाल मेहता
5. प्रो. नवल किशोर यादव
6. श्री राधाचरण साह
7. श्री राजेश राम

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक सोमवार, दिनांक 12.3.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

9/3/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 414 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 9.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
9-3-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।